RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A State Government undertaking)
Head Office: 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: 0141- 2171821 (GM Finance), 0141-2171822 (GM Adm.), 0141-2741924(GM Marketing),
Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com WebSite: www.rsfcsc.org

क्रमांकः एफ(66)/राराखानाआनि/फोर्टीफाइड आटा/2012/13040 दिनांकः 10/02/2012

निविदा सूचना

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि., जयपुर द्वारा निर्धारित योग्यताधारी फ्लोर/रोलर फ्लोर मिलधारकों से राज्य के जिला अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, बाडमेंर, भीलवाडा, नागौर, चूरु, बूंदी, बारां एवं झालावाड के नगरीय सीमा तथा जिला भरतपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड के ग्रामीण क्षेत्रों में नीचे अंकित सारणी अनुसार उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् विभिन्न योजनाओ में केन्द्र सरकार से आवंटित गेहूं को भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से जिला प्रबन्धक/जिला रसद अधिकारी द्वारा आंवटित मात्रा का उठाव कर, साफ सफाई कर निविदा में दिये गये निर्धारित मानक अनुसार पोषक तत्व (Micro Nutrient) मिलाकर पिसाई करते हुये तैयार फोर्टीफाईड आटे को निगम द्वारा दिये गये आदेशानुसार 10 व 20 किलोग्राम की पॉली प्रोपलीन थैली में निगम द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार पैकिंग कर ग्रामीण क्षेत्रों की चिन्हित डेयरी बूथ/ उपभोक्ता भण्डार एवं उचित मूल्य की दुकान तक पहुंचाने हेतु **जिलेवार (नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पृथक पृथक निविदा)** दरें प्रस्तुत करने हेतु निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

फोर्टीफाईड आटे के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विभिन्न योजनाओ के तहत् आवंटित गेहूं की **अनुमानित** मात्राः–

क्र.स.	नाम जिला	एपीएल श्रेणी हेतु आवंटित गेहूँ की अनुमानित वार्षिक मात्रा (एमटी में)	**अमानत राशि
	जयपुर सम्भाग		
1	जयपुर (शहर)	65484	1964500
	भरतपुर सम्भाग		
2	भरतपुर (शहर)	12754	382600
3	भरतपुर (ग्रामीण)	19130	573900
	जोधपुर सम्भाग		
4	जोधपुर (शहर)	25790	773700
5	बाड़मेर (शहर)	13930	417900
	बीकानेर सम्भाग		
6	चूरू (शहर)	14021	420600
7	बीकानेर (शहर)	12730	381900
	अजमेर संभाग		
8	अजमेर (शहर)	18960	568800
9	भीलवाडा (शहर)	16930	507900
10	नागौर (शहर)	25531	765900
	कोटा सम्भाग		
11	बांरा (शहर)	8050	241500
12	बारां (ग्रामीण)	12074	362200
13	बूंदी (शहर)	6427	192800
14	बूंदी (ग्रामीण)	9641	289200
15	कोटा (शहर)	14698	440900
16	कोटा (ग्रामीण)	22046	661400
17	झालावाड (शहर)	9970	299100
18	झालावाड (ग्रामीण)	14954	448600
	उदयपुर सम्भाग		
19	उदयपुर (शहर)	15394	461800
20	उदयपुर (ग्रामीण)	23090	692700

नोटः– उक्त मात्रा में केन्द्र सरकार से प्राप्त आवंटन की मात्रा के अनुसार कमी/वृद्धि हो सकती है।

** तालिका में अंकित उक्त अमानत राशि उन निविदादाताओं के लिए है, जो जिले की पूरी मात्रा के लिए निविदा भर रहे है। यदि कोई मिलधारक अपनी उत्पादन क्षमता के अनुसार कम मात्रा के लिए निविदा भर रहे है तो उनकी अमानत राशि

(उस मिलधारक की आवेदित वार्षिक उत्पादन क्षमता मैट्रिक टन में x 30 रूपये) के बराबर तकनीकी निविदा के साथ डीडी/बैंकर्स चैक के रूप में देनी होगी।

आवेदित उत्पादन क्षमता वार्षिक/मासिक है इसका स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है। फोर्टीफाइड आटे हेतु पूर्व में उपयोग में ली गई पिसाई क्षमता को कम करके ही शेष रही पिसाई क्षमता के लिए आवेदन किया जाना अनिवार्य है। साथ ही निविदादाता द्वारा इस बात का उल्लेख किया जाना होगा कि वर्तमान में वह किन जिलो में कार्य कर रहा है तथा कितनी पिसाई क्षमता उपयोग में ले रहा है। (संलग्न परिशिष्ट – 6)

फ्लोर/रोलर फ्लोर मिलधारकों की निम्नलिखित योग्यता होनी आवश्यक हैः–

1 फर्म राजस्थान बिक्री कर विभाग में पंजीकृत हो।

2 जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकरण हो।

3 प्रिवेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत लाईसेंसधारी हो।

4 फर्म के पास फोर्टीफाइड आटा बनाने के लिए आवश्यक मशीन एवं प्रयोगशाला उपकरण आटा पिसाई के लिए आवश्यक निर्धारित मशीने होनी चाहिए।

5 फर्म की पिसाई क्षमता कम से कम 10 मै. टन प्रतिदिन होनी चाहिए।

6 फर्म के पास उपलब्ध गोदाम की भण्डारण क्षमता कम से कम 200 मै. टन चाहिए जो सार्वजनिक निर्माण विभाग/रजिस्टर्ड अभियंता से प्रमाणित हो।

7 फर्म का 2009–10 एवं 2010–11 का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम राशि रूपये 50 लाख होना चाहिए।

8 उपरोक्तानुसार अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि **Rajasthan State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.Jaipur** के पक्ष में जारी हो, निविदा फार्म प्रस्तुत करते समय संलग्न करना अनिवार्य होगा। अमानत राशि के बिना निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।

9 निविदाए निर्धारित निविदा प्रारूप में ही प्रस्तुत की जायेगी, जिन्हें आवेदन करके निगम के मुख्यालय से **1000/–** रू. (अक्षरे एक हजार रूपये) नकद जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है एवं इस हेतु जिसकी अन्तिम तिथि **01.03.2012** है। निविदा शुल्क की राशि का प्रतिदाय (Refund) नहीं किया जोयगा।

10 निविदा की सूचना एवं फार्म निगम की वेबसाइट **www.rsfcsc.org** एवं खाद्य विभाग की वेबसाइट www.food.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। वैबसाइट से डाउनलोड की गई निविदा के साथ भी **1000/–** रू. का डीडी जो कि **Rajasthan State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.Jaipur** के पक्ष में जारी हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जावेगी।

11 निविदाऐं मुहरबंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से ''जिला...................नगरीय/.ग्रामीण क्षेत्र (सम्बन्धित जिले एवं क्षेत्र का नाम जिस हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिए गेहूं की पीसाई कर फोर्टीफाइड आटा तैयार कर नगरीय/ग्रामीण सीमा में वितरण हेतु निविदा'' लिखा होगा, निविदा दिनांक **01.03.2012 को सायं 3 बजे** तक **जिस जिले के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है, के जिला रसद अधिकारी/जिला प्रबन्धक कार्यालय में** पहुंच जानी चाहिए। दिनांक **02.03.2012** को **दोपहर 12 बजे** क्रय समिति के द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष **संबंधित जिला रसद अधिकारी/जिला प्रबन्धक कार्यालय में** सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जाएगी।

12 निविदायें जिलेवार नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पृथक–पृथक आमंत्रित की गयी है। अतः निविदादाता एक निविदा प्रपत्र से एक ही स्थान के लिए निविदा भर सकेगा। एक जिले के लिए नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी पृथक पृथक निविदा प्रस्तुत करनी होगी।

13 निगम न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नही है तथा वह किसी भी निविदा को या उसके किसी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द कर सकेगा।

14 जो भी निविदायें निर्धारित समय व तिथि के बाद प्राप्त होंगी, उन्हें रद्द कर दिया जायेगा।

15 निविदा सूचना में अंकित मात्रा के लिए एपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु आवंटित मात्रा को आधार लिया गया है। परन्तु भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं में आवंटित गेहूं को सम्मिलित करने की दृष्टि से यह निविदा आमंत्रित की गई है अतः यह मात्रा योजना/आवंटन को दृष्टि में रखते हुए घटाई/बढाई जा सकती है।

प्रबन्ध निदेशक

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A State Government undertaking)
Head Office: 5th floor, Kisan Bhawan, Lalkothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: 0141- 2171821 (GM Finance), 0141-2171822 (GM Adm.), 0141-2741924(GM Marketing),
Fax No. 0141-2741924, E-Mail: rsfcsc@gmail.com WebSite: www.rsfcsc.org

निविदा जिलाः–..............................नगरीय/ग्रामीण

आवेदित क्षमताः–......................

फोर्टीफाइड आटा बनाने संबंधित निविदा प्रपत्र

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आँवंटित गेहूं की पिसाई कर फोर्टीफाईड आटा राज्य में जिला अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, बाडमेर, भीलवाडा, नागौर, चूरू, बूंदी, बारां एवं झालावाड के नगरीय सीमा तथा जिला भरतपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड के ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा विक्रेता तक पहुंचाने हेतु जिलेवार(नगरीय/ग्रामीण) निविदा

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम दिनांकः	01.03.2012	
निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समयः	01.03.2012	सांय 03.00 बजे
तकनीकी निविदा खोलने की दिनांकः	02.03.2012	दोपहर 12:00 बजे

निविदा प्रपत्र संख्याः...निविदा प्रपत्र मूल्य रू. 1000/–

रसीद संख्या .... दिनांक .... द्वारा जारी अथवा राशि रूपये 1000/– डीडी/बैंकर चैक नम्बर.......................... दिनांक .... बैक का नाम.................................

निविदा प्रस्तुत करने का स्थान

जिस जिले के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है उस जिले का जिला रसद अधिकारी/जिला प्रबन्धक कार्यालय

चैक लिस्ट

निम्नलिखित दस्तावेज निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है :–

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण	पृष्ठ
1	निविदा तकनीकी प्रपत्र मय शर्तें (प्रपत्र के पृष्ठ एक से पंद्रह)	1 — 15
2	अमानत राशि का डीडी / बैंकर्स चैक का नम्बर..................... राशि .... बैक का नाम	
3	वित्तीय प्रस्ताव (पृष्ठ 16 एवं 17) का लिफाफा	
4	बिक्रीकर रजिस्ट्रेशन प्रति	
5	जिला उद्योग केन्द्र में रजिस्ट्रेशन की प्रति	
6	प्रीवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन लाइसेंस प्रति	
7	10 मै. टन पिसाई क्षमता प्रति दिन का प्रमाण पत्र जो MSME / जिला उद्योग केन्द्र से प्रमाणित हो	
8	वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11(अंकेक्षित) एवं 2011–12 के (प्रोवीजनल) लेखें– सी.ए. द्वारा प्रमाणित	
9	बिक्री कर शोधन प्रमाण पत्र	
10	फर्म पार्टनरशिप एक्ट में पंजीकृत है तो रजिस्ट्रार आफ फर्मस के पंजीयन की प्रति	
11	फर्म कम्पनी एक्ट में पंजीकृत है तो कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रति	
12	पी.एफ.ए. के तहत मामला दर्ज नहीं होने बाबत् निविदादाता का शपथ पत्र	
13	स्वयं / किराया का 200 मैं.टन भण्डारण क्षमता का गोदाम होना चाहिए। संबंधित दस्तावेज सा.नि.वि. / रजिस्टर्ड अभियंता द्वारा प्रमाणित होना चाहिए	
14	वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 का न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर राशि रूपये 50 लाख़ (सीए द्वारा प्रमाणित)	
15	फर्म का गत 6 माह के बिजली के बिल की प्रमाणित प्रति।	
16	मशीनो के विवरण की सूची (परिशिष्ट–2 के अनुसार)	

निविदा की शर्ते एवं नियम

टिप्पणी :– निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदायें प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरुपेण पालना करनी चाहिये।

निविदा का उद्देश्यः–

भारतवर्ष में अधिकांश नागरिकों के खाद्य पदार्थो में माइक्रोन्यूट्रियेन्ट की कमी आती जा रही है। इस कमी को दूर करना अत्यावश्यक है। राजस्थान सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत एपीएल योजना के गेहूं के स्थान पर आटा जिसमें आवश्यक तत्व आईरन, फॉलीक एसिड, एवं विटामिन बी–12 मिलाये जायेंगे उसे 10/20 किलोग्राम की पैकिंग में एपीएल राशन कार्डधारकों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु निगम द्वारा सक्षम फ्लोर मिल एवं रोलर फ्लोर मिल धारकों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहे है। निविदा में अनुमोदित मिलधारक को उस क्षेत्र में थोक विक्रेता/एजेण्ट नियुक्त किया जायेगा तथा उस पर विभागीय नियमों/प्रचलित एक्ट के प्रावधानों/धाराओं की पालना करने की बाध्यता रहेगी। उसको सभी नियमों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। अनुमोदित फ्लोर मिलधारक/रोलर फ्लोर मिलधारक द्वारा भारतीय खाद्य निगम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विभिन्न योजनाओं में आवंटित गेहूं को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जमा कराकर उठाव करना होगा तथा उसकी सफाई कराकर आवश्यक पोष्टिक तत्व निर्धारित मानक अनुसार मिलाते हुये फोर्टीफईड आटा तैयार कर निगम द्वारा निर्धारित पॉली प्रोपलीन में (10/20 किलोग्राम की पैकिंग कर) ग्रामीण क्षेत्रो की सीमा के चिह्नित डेयरी बूथ/उपभोक्ता भण्डार/उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचाना होगा। तैयार फोर्टीफाईड आटे के सभी मानदण्डों की पालना अनुमोदित रोलर/फ्लोर मिलधारक द्वारा की जायेगी।

निगम द्वारा भविष्य में अन्य योजनाओं के गेहूं का फोर्टीफाईड आटा उक्त निविदा की शर्तों एवं दरों पर अनुमोदित फ्लोर मिल/रोलर फ्लोर मिल से तैयार करवाया जा सकता है। यदि अन्य योजनाओं के गेहूं का आटा बनाने का अतिरिक्त आदेश दिया जाता है तो गेहूं की संबंधित योजना की निर्धारित दर भारतीय खाद्य निगम को जमा करायी जायेगी तथा बाजार दर के अन्तर की राशि की बैंक गारण्टी पृथक से निगम में जमा करानी होगी।

सामान्य अनिवार्य शर्ते

1 निविदाएं निर्धारित निविदा प्रारूप में हीं प्रस्तुत की जाएगी, जो निविदाऐं निर्धारित प्रपत्र में नहीं होगीं उन पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा प्रपत्र लिखित आवेदन प्रस्तुत कर खाद्य निगम मुख्यालय से 1000/– रूपये नकद जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है। इस राशि का प्रतिदाय (Refund) नहीं किया जाएगा। निविदा प्रपत्र सूचना **निगम की वेबसाइट www.rsfcsc.org** एवं **खाद्य विभाग की वेबसाइट www.food.rajasthan.gov.in** से भी डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट से डाउनलोड की गई निविदा के साथ 1000/– रूपये का डिमांड ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। निविदा प्रपत्र शुल्क के अभाव में निविदा पर विचार नही किया जाएगा।

2 निविदा की निबंधन एवं शर्ते, रा0रा0खा0ना0आ0नि0 मुख्यालय में उपलब्ध है, जिन्हें प्रत्येक निविदादाता निविदा देने के पूर्व देख सकेगा।

3 निविदाऐं मुहरबंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रुप से ''जिला..................नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र (सम्बन्धित जिले एवं क्षेत्र का नाम जिस हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिए गेहूं की पिसाई कर फोर्टीफाइड आटा तैयार कर नगरीय/ग्रामीण सीमा में वितरण हेतु निविदा'' लिखा होना चाहिए। निविदा दिनांक 01.03.2012 को सांय 3.00 बजे तक **जिस जिले के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है, के जिला रसद अधिकारी/जिला प्रबन्धक कार्यालय में** पहुंच जानी चाहिए। दिनांक **02.03.2012** को दोपहर 12 बजे क्रय समिति के द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष **संबंधित जिला रसद अधिकारी/जिला प्रबन्धक कार्यालय में** सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जाएगी।

4 निगम न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी निविदा को या उसके किसी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द कर सकेगा।

5 जो भी निविदायें निर्धारित समय व तिथि के बाद प्राप्त होगी, उन्हें रद्द कर दिया जायेगा।

6 निविदा को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रुप से मुहरबंद लिफाफे में बन्द करना चाहिये।

7 निविदाओं में वर्णित दरें निविदा खोलने की दिनांक से अनुबन्ध होने से पूर्व तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी। जिनको पारस्परिक सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।

8 **निविदायें दो मुहरबंद अलग–अलग लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी।** प्रथम लिफाफे पर **''तकनीकी प्रस्ताव''** (''जिला..................नगरीय/..ग्रामीण क्षेत्र (सम्बन्धित जिले एवं क्षेत्र का नाम जिस हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिए गेहूं की पीसाई कर फोर्टीफाइड आटा तैयार कर नगरीय/ग्रामीण सीमा में वितरण हेतु निविदा'') अंकित किया जाना चाहिये। **द्वितीय लिफाफे पर** **''वित्तीय प्रस्ताव''** (''जिला........... ....नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र (सम्बन्धित जिले एवं क्षेत्र का नाम जिस हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिए गेहूं की पीसाई कर फोर्टीफाइड आटा तैयार कर नगरीय/ग्रामीण सीमा में वितरण हेतु निविदा'') अंकित किया जाना चाहिये। दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बंद कर प्रस्तुत करना चाहिये। बाह्य लिफाफे पर निगम का नाम, निविदा सूचना संख्या मय दिनांक, ''जिला.................... नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र (सम्बन्धित जिले एवं क्षेत्र का नाम जिस हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिए गेहूं की पिसाई कर फोर्टीफाइड आटा तैयार कर नगरीय/ग्रामीण सीमा में वितरण हेतु निविदा'' एवं फर्म का पूर्ण पता मय दूरभाष/मोबाईल नं. अंकित करना चाहिये।

नोट :– यदि वित्तीय निविदा खुले रूप से तकनीकी निविदा के अंदर दी जायेगी, तो निविदा को स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा।

9 वित्तीय प्रस्ताव के लिए नियम एवं शर्ते

1. वित्तीय प्रस्ताव में अंकित दरें शब्दों एवं अंकों में लिखी जानी चाहिये। इसमें त्रुटियां (काट–छांट) उपरिलेखन एवं करेक्टिंग फ्लूड नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्वियाँ करनी हो तो स्पष्ट रुप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित इस पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिये। मूल निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें जो निविदा की शर्तों को स्वीकारे जाने को दर्शायेगा।

2. यह निविदा आटा बनाने वाले मूल मिलधारकों से आमंत्रित की गई हैं। संबंधित मिल निर्धारित तकनीकी मानदण्ड, न्यूनतम प्रति दिन उत्पादन क्षमता एवं पीएफए मानदण्डों के अनुसार होनी चाहिये। यदि सम्बन्धित जिलो हेतु स्थानीय एवं बाहरी मिल की दरें समान प्राप्त होती हैं तो ऐसी स्थिति में स्थानीय मिल को निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण की दृष्टि से प्राथमिकता दी जायेगी।

3. निगम भारतीय खाद्य निगम से गेंहूँ का उठाव, आटे की पैकिंग, तैयार एवं पैक्ड फोर्टीफाइड आटे को मिलधारक के गोदाम से खुदरा विक्रेताओं तक वितरण/परिवहन का कार्य आवश्यकतानुसार पृथक रूप अपने स्तर से भी करवा सकता है।

10 निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम **दिनांक 01.03.2012 को सांय 3.00 बजे तक है।** इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

11 **दिनांक 02.03.2012 को दोपहर 12 बजे** उपस्थित निविदाओं के समक्ष निविदा का तकनीकी बिड खोली जायेगी। उसमें संलग्न सभी प्रपत्रों का विवरण पढ़कर उपस्थित निविदादाताओं को सुनाया जायेगा।

12 निविदा के साथ अमानत राशि प्रस्तुत करनी होगी, इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि **Rajasthan State Food & Civil Supplies Corporation Ltd., Jaipur** के पक्ष में शिड्यूल्ड बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में प्रस्तुत की जायेगी। असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अंतिम रुप से स्वीकार करने के बाद यथासंभव शीघ्र लौटायी जायेगी।

13 अमानत/बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत (forfeit) कर लिया जायेगा :–

- ➢ जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रुपान्तरण करता अथवा निविदा प्रक्रिया प्रत्यक्ष /परोक्ष रूप से बाधित करता है।
- ➢ जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, निष्पादित नहीं करता है।
- ➢ जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
- ➢ जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने तथा आपूर्ति करने में असफल रहता है।

14 प्राप्त निविदा के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली सेवा/सामान संबंधी शर्तें विस्तृत विवरण आदि की सावधानीपूर्वक जॉच कर ली है। यदि उसको इन शर्तों या विस्तृत विवरण के अर्थ के संबंध में कोई संदेह हो तो उसे निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व प्रभारी अधिकारी से पूछताछ कर लेनी चाहिये तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये।

15 फर्म की उत्पादन क्षमता के प्रमाणीकरण के लिए निविदादाता को गत वर्ष की अंकेक्षित बेलेंस शीट एवं गत 6 माह का बिजली के बिलों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

16 निविदादाता को वित्तीय हैसीयत की पुष्टि के लिए **चार्टड अकाउन्टेन्ट अथवा तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी** द्वारा जारी किया गया हैसीयत प्रमाण पत्र जो कि अद्यतन दिनांक का होगा, प्रस्तुत करना होगा। हैसीयत प्रमाण–पत्र एक माह के आवंटित गेहूं की कुल लागत (समर्थन मूल्य के बराबर) की राशि के बराबर का होना आवश्यक है।

17 मिल के पास गेहूं की सफाई, पिसाई, पैकिंग एवं मानक जॉच के उपकरण होने आवश्यक है। उक्त के प्रमाण स्वरूप मशीनों के बिल तथा संलग्न परिशिष्ट '2' में फर्म के पास उपलब्ध गेहूं की सफाई, पिसाई, पैकिंग की मशीनों संख्या अंकित करनी आवश्यक है।

प्रतिभूति तथा बैक गारन्टी के सम्बन्धित शर्ते

18 **सफल निविदादाता मिलधारक फर्म को करार पत्र के साथ प्रतिभूति राशि (Security Deposit Amount) निगम में जमा करानी होगी, जो उसके कार्यादेश (आवेदित वार्षिक पिसाई मात्रा टन में x पिसाई दर टन में) अनुमानित मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर होगी।** यह राशि Rajasthan State Food & Civil Supplies Corporation Ltd., Jaipur के पक्ष में प्रस्तुत की जायेगी। प्रतिभूति राशि निम्न रुप से जमा करायी जा सकती है –
डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

19 कार्यादेश के अनुसार अनुमोदित रोलर/फ्लोर मिल द्वारा संतोषजनक कार्य पूर्ण करने पर अनुबन्ध अवधि के समाप्त हो जाने पश्चात् अनुमोदित रोलर/फ्लोर मिल धारक के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं होने पर प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जायेगा।

20 निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि (Earnest Money) को प्रतिभूति की राशि (Security Deposit Money) के लिये समायोजित किया जा सकेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी।

21 आवंटित गेहूं के समर्थन मूल्य एवं आवंटित गेहूं के योजना आधारित मूल्य के मासिक अन्तर के बराबर की बैंक गारन्टी फर्म द्वारा जिला प्रबन्धक – निगम के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

22 अनुबन्धित मिलधारक फर्म को करार पत्र के साथ एक माह के गेहूं के आवंटन मात्रा की बाजार मूल्य एवं गेहूं/आटा की FPS को निर्धारित दर बिक्री की अन्तर राशि **बैंक गारण्टी** के रुप में जमा करानी होगी। **बैंक गारण्टी** अनुबन्ध की दिनांक से **18 माह** तक की अवधि के लिये वैध होनी आवश्यक है, ताकि किसी भी घटना/दुर्घटना की स्थिति में निगम को वित्तीय हानि नहीं हो। उक्त राशि प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त होगी।

23 प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रुप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत (Forfeit) किया जा सकेगा:–
अ. जब निविदादाता द्वारा संविदा के किन्ही निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

ब. जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

स. प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

24 सफल निविदाकार को अनुबन्ध के समय राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश, 1976 के खण्ड 5 के तहत निर्धारित धरोहर राशि नकद या डी.डी. के साथ जमा करानी होगी।

आपूर्ति एवं सूचना देने सम्बन्धि शर्ते

25 तैयार आटा 10/20 किलोग्राम या अन्य मात्रा की निर्धारित स्पेशिफिकेशन की थैली में पैक कर खुदरा विक्रेता (डेयरी बूथ/उपभोक्ता भण्डार/उचित मूल्य की दुकान) तक पहुंचाना होगा। परिवहन के दौरान उचित मूल्य दुकानों के स्तर पर आटा पहुंचाने की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। पैकिंग एवं परिवहन में किसी प्रकार की क्षति होने पर गेहूं की मात्रा की बाजार दर की राशि वसूल की जायेगी। तैयार फोर्टिफाइड आटे को निर्धारित पैकिंग में गेहूं प्राप्ति के सात दिवस में वितरण प्रारम्भ करना होगा तथा जिसकी अधिकतम समयावधि 30 दिवस होगी।

26 निर्धारित अवधि में आपूर्ति नहीं करने पर फर्म को दिये गये आदेश की राशि को आधार मानते हुए परिनिर्धारित क्षति (L.D.) के रूप में निम्नानुसार कटौती की जायेगीः—

(ए) निर्धारित अवधि की एक चौथाई समयावधि की देरी पर 2.5 प्रतिशत कटौती/वसूली।
(बी) एक चौथाई से अधिक एवं आधी समयावधि की देरी पर 5 प्रतिशत कटौती/वसूली।
(सी) आधी से अधिक एवं तीन चौथाई समयावधि की देरी पर 7.5 प्रतिशत कटौती/वसूली।
(डी) तीन चौथाई से अधिक एवं निर्धारित अवधि की देरी पर 10 प्रतिशत कटौती/वसूली।

27 निविदादाता रा0रा0खा0ना0आ0 निगम लि0 का अधिकृत थोक विक्रेता/एजेण्ट होगा। अतः सफल निविदाकार को लेखों का संधारण जैसे स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर, कैश बुक, बिल आदि का संधारण करना होगा एवं जांच हेतु प्रवर्तन स्टाफ को उपलब्ध कराया जायेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर आलेख उपलब्ध नहीं करवाने को गंभीर अनियमितता माना जावेगा एवं इस आधार पर निविदा समाप्त की जा सकेगी।

28 सफल निविदाकार को अपने लेखे (प्राप्ति—वितरण) तथा आटे की **पहुंच का प्रमाण पत्र (संलग्न परिशिष्ट—3 में) आगामी माह की 5 तारीख तक** जिला रसद अधिकारी/जिला प्रबन्धक रा0रा0खा0ना0आ0 निगम लि0 को प्रस्तुत करने होंगे। फोर्टीफाइड आटे की अनुमोदित लागत मूल्य एवं उचित मूल्य दुकानदारो के विक्रय मूल्य की **अन्तर राशि आगामी माह की 5 तारीख तक** जिला रसद अधिकारी/जिला प्रबन्धक रा0रा0खा0ना0आ0 निगम लि0 के कार्यालय में जमा करानी होगी (संलग्न परिशिष्ट—4 में सूचना तैयार कर के) अन्यथा 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से राशि वसूली जायेगी। अर्थात निगम द्वारा आटे की निर्धारित वितरण दर में से फ्लोर/रोलर फलोर मिलधारक को उसकी निविदा के भाग की राशि को ही प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि निगम द्वारा दर आगामी दहाई पैसे में निर्धारित की जाती है तो उपभोक्ताओं से प्राप्त अंतर की राशि निगम में जमा करानी होगी।

29 सफल निविदाकार के विरुद्ध यदि कोई वसूली लेखो की जांच में निविदा अवधि एवं उसके पश्चात भी पायी जाती है तो राशि तुरन्त जमा करानी होगी अन्यथा उक्त दर पर ब्याज देना होगा।

30 गेहूं का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर वितरण करने की अवधि में किसी भी प्रकार की हानि/गबन व चोरी हेतु अनुमोदित फर्म स्वयं जिम्मेदार होगी तथा सामग्री की क्षति/नुकसान की वसूली प्रचलित बाजार भाव से की जायेगी।

31 अनुबन्धित निविदाकार (थोक प्राधिकार—पत्र धारक) द्वारा आवंटन पत्र में विनिर्दिष्ट मात्रा के आधार पर आटे का वितरण (गेहूं प्राप्ति की दिनांक के 7 दिवस से) संबंधित डेयरी बूथ/उपभोक्ता भण्डार/उचित मूल्य की दुकान/अन्य स्थान पर सुनिश्चित करेगा। परन्तु वितरण करने से पूर्व आपूर्ति कर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये स्थान से संबंधित डेयरी बूथ संचालक/उपभोक्ता भण्डार संचालक/उचित

मूल्य दुकानदार को दिये गये आटे की पहूंच का प्रमाण पत्र संलग्न परिशिष्ट–3 में उपलब्ध फार्म में प्राप्त करेगा तथा माह के अन्त में सभी विवरण एवं उनका समेकित विवरण जिला रसद अधिकारी/जिला प्रबन्धक के निर्देशों में निगम को प्रस्तुत करेंगा। यदि स्टॉक रजिस्टर में गत माह का अंतिम शेष है तो उतना आटा कम कर संबंधित उचित मूल्य के दुकानदार को डिलीवरी दी जायेगी तथा डीलर के स्टॉक रजिस्टर में आटे की डिलीवरी की मात्रा तथा बिल नम्बर/दिनांक का अंकन कर आपुर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर किये जायेंगे।

32 राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में आवंटित गेहूं को भी फोर्टीफाइड आटे की परिधि में लिया जा सकता है। अतः योजना के अनुसार पैकिंग में परिवर्तन के लिए निगम आवश्यक निर्देश देगा जिसकी पालना अनुमोदित रोलर/फ्लोर मिल धारक द्वारा की जानी आवश्यक है।

33 निविदादाता द्वारा आटे का उत्पादन, पैकिंग करने के पश्चात् उचित मूल्य की दुकानों एवं अन्य निर्दिष्ट स्थान पर आटे की आपूर्ति सही मात्रा, गुणवत्ता में दी जावेगी तथा संबंधित अधिकृत खुदरा विक्रेता से आटे की पहुंच बाबत रसीद प्राप्त की जावेगी जिसे पाक्षिक/मासिक रूप से निगम के जिला कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा तथा निगम द्वारा दिये गए विक्रय सम्बन्धी आदेशो की पालना सुनिश्चित की जावेगी। निगम द्वारा आटे के उत्पादन स्थल एवं एफपीएस पर आटे की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में सैम्पलिंग की जावेगी। सेम्पल में कमी पाये जाने पर आपूर्ति कर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा पी.एफ.ए. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

34 निगम द्वारा अनुमोदित दर एवं खुदरा विक्रेताओं को विक्रय की जाने वाली दरों के अन्तर की राशि को निगम के जिला कार्यालय में डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक साथ पाक्षिक/मासिक रूप से जमा करवाया जाना आवश्यक होगा।

35 उक्त दोनो (33 एवं 34) शर्तो की पालना के अभाव में जिला प्रबन्धक/जिला रसद अधिकारी द्वारा आगामी माह के कार्यादेश को रोका जावेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही भी की जा सकेगी।

36 खाद्य विभाग/निगम के द्वारा Lotwise फोर्टीफाइड आटे की जांच राज्य सरकार/एनएबीएल द्वारा अनुमोदित लेबोरेटरी पर करवाई जाएगी जिस पर होने वाला व्यय सफल निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा।

37 गुण नियंत्रण :–

(क) मिल धारक अपने स्तर पर पी.एफ.ए के प्रावधानो के अनुसार मिल परिसर में Lot Wise Analyssis आदि करवायेगा तथा आवश्यक अभिलेख (रिकॉर्ड) संधारित करेगा।

(ख) इसके अलावा मिल धारक स्वयं की लागत पर निर्धारित मात्रा के लॉट के नमूनों का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संसूचित NABL से मान्यता प्राप्त प्रयोग शाला से परीक्षण करवायेगा तथा परीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात ही आटे की आपूर्ति दी जायेगी।

<u>EC Act के नियमो के अनुसार जॉच एवं कार्यवाही से सम्बन्धित शर्ते</u>

38 राजस्थान सरकार द्वारा आवंटित गेहूं/आटा के डायवर्ज़न/विपथन का संपूर्ण दायित्व प्रदायकर्ता का होगा एवं इसके लिए विभाग/निगम ई.सी. एक्ट एवं अन्य नियमों के अनुसार प्रदायकर्ता के विरूद्ध आवश्यक सभी कार्यवाही करेगा।

39 किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर ई.सी. एक्ट 1955 एवं तत्समय अन्य प्रभावी एक्ट/नियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

40 यदि गेहूं का विपथन (Diverson) जांच में पाया जाता है तो बाजार में प्रभावी दर से राशि मय ब्याज के वसूल की जायेगी एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम (EC ACT) के तहत दण्डनीय कार्यवाही भी की जावेगी।

41 सफल निविदादाता की रोलर/फ्लोर मिल का निरीक्षण जिला रसद अधिकारी/जिला प्रबन्धक/निगम प्रतिनिधि अथवा निगम द्वारा गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।

42 सफल निविदाकार के साथ 1000/- रूपये (अक्षरे रूपये एक हजार मात्र) के स्टाम्प पर निगम द्वारा अनुबंध किया जावेगा।

<u>निविदा प्रारुप</u>

भाग (अ) तकनीकी बिड

<u>तकनीकी मापदण्ड</u>

आटा तैयार करने के निम्नलिखित मानक निर्धारित होंगें तथा आटा निर्माण में निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी :–

(क) तैयार फोर्टीफाईड आटा प्रीवेंशन एण्ड फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, 1955 के मानक अनुसार होना आवश्यक है, जिसके मानक निम्नानुसार हैं :–

Taste:- It shall have a palatable taste

Shelf Life :- The minimum shelf life of the finished product should be 30 days from the date of manufacturing.

Flour Characteristics:- It shall have uniform fine texture with the following partical distribution.

- 95 % must pass through 600 micrometer sieve
- 100 % must pass through 800 micrometer sieve

Moisture: Not more than 14%
Total Ash : Not more than 2.0 %
Acid Insoluble Ash : Not more than 0.15 %
Alcoholic Acidity : Not more than 0.18 %
Safety Parameters : the product shall be :

1. Be free from objectionable matter
2. Not containing any substances originating from micro-organism or any other poisonous or deleterious substances, in amounts which may represent a hazard to health.
3. The product should be hygienically packed.

(ख) फोर्टीफाईड आटा गेहूँ को पूर्णतया साफ–सफाई करके तैयार किया जाएगा। किसी भी प्रकार के कंकड एवं अन्य बाह्मय तत्व सम्मिलित नहीं होने चाहिए।

(ग) गेहूं की पिसाई में अधिकतम 4 प्रतिशत चोकर की मात्रा तथा 1 प्रतिशत छीजत (कंकर मिटटी आदि) मान्य होगी अर्थात गेहूं की पिसाई करने वाली मिल को न्यूनतम 95 प्रतिशत आटा आपूर्ति करना होगा।

(घ) फोर्टीफाईड आटा निर्माण प्रक्रिया में स्वास्थ्य के समस्त मानदंडों की पालना की जाएगी।

(ड) फोर्टीफाईड आटा निर्माण की निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :–

a) Cleaning of wheat from separators, de-stoner, scourer, aspiration etc.

b) Milling Process : Grinding of clean wheat and milled into the flour/ course flour

c) Micronutrient Fortification: the milled fine/course flour is homogenously mixed with the Vitamin/Mineral premixes using automated and precise weighing system.

d) The product must be fortified as per the following given specification.

S. No.	Nutrient	Level of Micronutrient to be added so that everyone Kilogram of Wheat Flour shall have the following composition
1	Iron	30.00 mg
2	Folic Acid	1.3 mg
3	Vitamin B-12	0.01 mg

e) The bidder must ensure on every purchase of the vitamin./mineral premixes being added to the product are of standard quality and vegetarian origin by getting the premixes tested from a Standard Laboratory approved by the central/state govt.

नोटः– फर्म को उक्त मशीनें खरीदने के बिलों की सत्यापित फोटोप्रति निगम में निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगी। साथ ही फोर्टीफाइड आटे हेतु उपरोतानुसार प्रीमिक्स का विवरण परिशिष्ट–5 में माहवार प्रस्तुत करना होगा।

तकनीकी प्रस्ताव

1 अमानत राशि हेतु रूपये .... (संलग्न परिशिष्ट में जिले के सामने अंकित राशि अनुसार **Rajasthan State Food & Civil Supplies Corporation Ltd. Jaipur** के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या .... दिनांक .... बैंक का नाम .... संलग्न करना अनिवार्य होगा। अमानत राशि के बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

2 तकनीकी निविदा प्रस्ताव का मूल्यांकन गठित क्रय समिति के द्वारा किया जाएगा। तकनीकी रूप से सफल निविदादाता का वित्तीय प्रस्ताव खोला जाएगा। वित्तीय प्रस्ताव खोलने से पूर्व सफल निविदादाताओं को लिखित सूचना दी जाएगी तथा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएंगे।

3 निविदादाता का पंजीकरण प्रमाण पत्र यदि कम्पनी का है तो कम्पनी एक्ट में पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि साझेदारी फर्म है तो पार्टनरशीप डीड की प्रमाणित प्रति निगम में तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य है तथा जिस कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई है वह कार्य पंजीकरण प्रमाण पत्र में अंकित होना चाहिए।

4 संबंधित सर्किल का बिक्री कर (वित्तीय वर्ष 2010–2011 का) समाशोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

5 निविदादाता के वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 (अंकेक्षित) के सी.ए. द्वारा प्रमाणित लेखे संलग्न होने चाहिए ।

6 निविदादाता के पास स्वयं का कम से कम 200 मैं. टन खाद्यान्न संग्रहित करने हेतु गोदाम होना चाहिए, जिसके प्रमाण स्वरूप मानचित्र (ब्ल्यू प्रिंट) टाईटल डीड, भण्डारण क्षमता का सार्वजनिक निर्माण निगम /पंजीकृत अभियन्ता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

7 निविदादाता प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट में लाइसेंसधारी होना आवश्यक है, एवं इसका प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है, जो कि कम से कम 31 दिसम्बर, 2012 तक वैध होना चाहिए।

8 फर्म के पास स्वयं के परिवहन के साधन/किराये के वाहन उपलब्ध होने चाहिए जिनकी सूची अद्यतन रजिस्ट्रेशन के विवरण सहित प्रस्तुत करनी होगी। **निगम भारतीय खाद्य निगम से गेंहूँ का उठाव, आटे की पैकिंग, तैयार एवं पैक्ड फोर्टीफाइड आटे को मिलधारक के गोदाम से खुदरा विक्रेताओं तक वितरण/परिवहन का कार्य आवश्यकतानुसार पृथक रूप अपने स्तर से भी करवा सकता है।**

9 पिसाई क्षमता के प्रमाण स्वरूप जिला उद्योग केन्द्र प्रभारी का उत्पादन क्षमता का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है। फ्लोर मिल/रोलर फ्लोर मिल को उसकी क्षमता तक का कार्य आदेश दिया जा सकेगा, उससे अधिक नही। प्रत्येक निविदादाता को उत्पादन क्षमता के प्रमाण–पत्र के साथ समान्तर अन्य राजकीय/किसी निगम के कार्यादेशो की सूचना भी देनी होगी ताकि शुद्ध वर्तमान उत्पादन क्षमता ज्ञात हो सके। कार्यादेश से पूर्व आटा वितरण क्षेत्र की सफल निविदादाता से निकटता एवं मितव्ययिता का निगम द्वारा ध्यान रखा जाएगा।

10 निविदादाता का यह दायित्व होगा कि वह वांछित उत्पाद के संबंध में संविदा शर्त्तों के अनुरूप अपनी उत्पादन क्षमता, सप्लाई क्षमता मय परिवहन व्यवस्था से निगम को संतुष्ट करे। निगम द्वारा अधिकृत टीम द्वारा निविदादाता की निर्माण ईकाई का निरीक्षण किया जावेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निविदादाता के पास वांछित उत्पादन हेतु प्लांट, मशीनरी मय आटा बनाने का संयंत्र उपलब्ध है तथा निविदा में सफल निविदाकार को सूचना के 7 दिवस में अनुबंध करना होगा। उक्त अनुबंध एक वर्ष के लिये किया जावेगा।

11 निविदादाता को निरीक्षण के दौरान टीम को आवश्यक सहयोग देना होगा। यदि निगम की निरीक्षण टीम द्वारा यह अनुभव किया जाता है कि निविदादाता के पास वांछित कार्य को सम्पादित करने हेतु आवश्यक क्षमता नही है और न ही आटा बनाने का संयंत्र है तो निगम के पास यह अधिकार होगा कि वह निविदादाता की निविदा निरस्त कर दें। अनुबंधित निविदाकार को निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत थोक व्रिक्रेता नियुक्त किया जाएगा। इस हेतु प्राधिकार पत्र संबंधित जिले के जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया जायेगा। सफल निविदाकार प्राधिकार पत्र की सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।

12 सफल निविदाकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त गेहूँ की अच्छी सफाई बढ़िया स्तर की कराकर फोर्टीफाईड आटा तैयार करना होगा जिस हेतु फ्लोर मिल में पूर्ण साफ–सफाई तथा निर्धारित मानदंडों की पालना करनी होगी। किसी भी प्रकार के अपशिष्ट/कंकर अथवा unhygenic वातावरण मिल में पाये जाने पर निगम द्वारा निविदादाता के विरूद्व कार्यवाही की जाएगी एवं अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।

13 अनुबंधित निविदादाता द्वारा 10/20 किलोग्राम के पैकेट में निर्धारित स्पेशिफिकेशन की पॉली प्रोपलीन पैकिंग में खुदरा विक्रेता को उपलब्ध कराया जाएगा। पॉली प्रोपलीन पर पैंकिंग दिनांक तथा Best Before 30 Days स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। फोर्टीफाईड आटे के लिए सफाई, पिसाई, फोरटिफिकेशन, पैंकिंग आदि इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसकी SELF LIFE कम से कम 30 दिन हो। निविदादाता द्वारा यह प्रमाण–पत्र दिया जाना आवश्यक होगा कि सप्लाई किये गये आटे की सैल्फलाईफ 30 दिवस है।

पॉली प्रोपलिन बैग का मानकीकरण निम्न प्रकार होगाः– साईज :– 15 X 20 इंच, विविंग 2.5 जीएसएम तथा उस पर 75 माइक्रोन का लेमिनेशन किया हुआ हो तथा पॉली प्रोपलिन बैग खाद्य पदार्थ रखने की गुणवत्ता रखता हो। दो रंग में बैग पर मुद्रण किया जायेगा। वजन :– 30 ग्राम से 32 ग्राम।

14 पॉली प्रोपलीन पर बैग पर मुद्रण का विवरण निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिसे निविदादाता द्वारा थैली पर मुद्रण कराया जाना आवश्यक होगा।

15 निविदादाता के पास फोर्टीफाइड आटे की आहार योग्य गुणवत्ता को मापने का संयंत्र होना चाहिए। निविदादाता द्वारा आटे के लॉट जारी होने से पूर्व प्रयोगशाला परीक्षण करने के पश्चात् रिपोर्ट सही होने पर हीं आटे का वितरण किया जाएगा। फोर्टीफाईड आटे के सैम्पल की जाँच निगम द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में करायी जायेगी, जिसका खर्च निविदादाता को वहन करना होगा।

16 निविदाकार को प्रत्येक माह गेहूं की मात्रा का आवंटन आदेश रा0रा0खा0ना0आ0नि0लि0 से जारी किया जायेगा तथा आवंटित मात्रा का निर्धारित समय पर भारतीय खाद्य निगम से उठाव संबंधित फर्म द्वारा किया जायेगा। इसके लिए गेहूं की निर्धारित कीमत को भारतीय खाद्य निगम में जमा कराना होगा। आवंटित मात्रा के अनुसार सही गुणवत्ता वाले गेहूं के उठाव करने की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी।

17 निविदादाता का यह दायित्व होगा कि वह अच्छे/मानव आहार योग्य गेहूं का ही भारतीय खाद्य निगम से उठाव करें यदि खुदरा विक्रेता के पास आटा मानव आहार योग्य नहीं पाया जाता है तो खुदरा विक्रेता तुरन्त परिवर्तित आटा उपलब्ध करायेगां एवं इसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी।

18 अनुबन्धित फ्लोर मिलधारक द्वारा विक्रय की गई आटे की सूचना एवं स्टॉक अगले दिन जिला प्रबन्धक को देगा।

19 कार्यालय आदेश/निर्देशों की अवहेलना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध माना जावेगा।

20 निविदा को बिना कारण बताये पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार निगम का होगा।

21 निगम को नियमानुसार निविदा में उल्लेखित मात्रा को कम करने/बढ़ाने का तथा अनुबन्ध की निर्धारित अवधि को कम करने का भी पूर्ण अधिकार होगा। अनुबन्ध की अवधि नियमानुसार दोनों पक्षों की सहमति पर बढ़ाई भी जा सकेगी।

22 अनुमोदित फ्लोर मिलधारक को आटा मैन्यूफेक्चरिंग एवं वितरण के **विभिन्न विनिर्दिष्ट नियमों** की पालना करनी होगी। किसी नियम/एक्ट की अवहेलना उस नियम का उल्लंघन माना जायेगा तथा उसके लिये संबंधित निगम कार्यवाही कर सकेगा, परन्तु यदि किसी भी निगम द्वारा की गई कार्यवाही से खाद्य निगम को क्षति होती है तो उसकी वसूली प्रचलित बाजार भाव से की जायेगी।

23 विवाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्र जयपुर शहर होगा।

24 निविदादाता को राज्य सरकार/राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना करना आवश्यक होगा।

25 निविदा शर्तों में उल्लंघन पाये जाने पर धरोहर राशि जब्त की जायेगी तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

घोषणा पत्र

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को पढ़ लिया है एवं इनको मान्य एवं स्वीकार करते हुये इनकी पालना के लिये वचनबद्ध है तथा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदा प्रारुप

भाग (ब) वित्तीय बिड

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (वित्तीय प्रस्ताव) के अन्तर्गत जिला.................... नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र (सम्बन्धित जिले एवं क्षेत्र का नाम जिस हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिए गेहूं में निर्धारित तत्वों को सम्मिलित करते हुये निर्धारित मानदण्डों अनुसार फोर्टीफाईड कर पिसाई करना, प्रिंटेड पॉली प्रोपलीन पैकिंग करना एवं उसके परिवहन की व्यवस्था करने हेतु निविदा प्रस्ताव।

2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं पता मय दूरभाष/मोबाइल नं.

....

....

....

हमने राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा जारी की गई निविदा सूचना में वर्णित सभी शर्तों का अवलोकन कर समझ लिया है एवं हम इससे बाध्य होना स्वीकार करते हैं। स्वीकृति स्वरूप हमने इस निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है। वर्णित सभी शर्तों के अनुसार हमारी दर 10/20 कि. ग्रा. के लिये निम्नलिखित अनुसार होगी।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	एक मुश्त दर प्रति क्वि.(10 किग्रा पैकिंग हेतु)	एक मुश्त दर प्रति क्वि.(20 किग्रा पैकिंग हेतु)
1	अ. भारतीय खाद्य निगम से आवंटित गेंहू का उठाव कर रोलर/फ्लोर मिल गोदाम तक का परिवहन		
	ब. पैक्ड फोर्टीफाइड आटे को मिलधारक के गोदाम से नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र (सम्बन्धित जिले एवं क्षेत्र का नाम जिस हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है) के डेयरी बूथ/उपभोक्ता भण्डार/उचित मूल्य की दुकान/अन्य चिन्हित स्थान तक की परिवहन की दरें		
2	गेहूं की साफ सफाई करना एवं निर्धारित मानक अनुसार पिसाई करना		

3	तैयार आटे में निम्नलिखित तत्वों की स्वयं के स्तर से खरीद करते हुए निम्नानुसार मात्रा में मिलानाः– क्र.सं. तत्व एक कि.ग्रा गेहूं 1. आईरन (Iron) 30 मि. ग्राम 2. फॉलिक एसिड 1.30 मि. ग्राम 3 Vitamin B-12 0.01 मि. ग्राम		
4	तैयार आटे को पॉली प्रोपलीन की 10/20 किलोग्राम की क्षमता में पैकिंग करना तथा पॉली प्रोपलिन बैग पर निगम द्वारा दिये गये विवरण की प्रिंटिंग करना। पॉली पोपलिन बैग का मानकीकरण निम्न प्रकार होगाः– साईज :– 15 x 20 इंच, विविंग 2.5 जीएसएम तथा उस पर 75 माइक्रोन का लेमिनेशन किया हुआ हो तथा पॉली प्रोपलिन बैग खाद्य पदार्थ रखने की गुणवत्ता रखता हो। दो रंग में बैग पर मुद्रण किया जायेगा। वजन :– 30 ग्राम से 32 ग्राम		
5	राज्य सरकार के भारित सभी कर जो भी लागू हो (गेहूं एवं आटे की अंतर दर पर भारित कर)		
6	योग (कॉलम 1 से 5)		
7	छीजत की राशि (5 किलो गेहॅू की कीमत की राशि)		
8	चौकर की कीमत (अधिकतम 4 किलोग्राम की दर अंकित करें)		
9	बारदाना की लागत		
10	शुद्ध दर (6 + 7 – 8 – 9)		

दरें शब्दो में ....

सभी कार्यों की अलग–अलग दर प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

शपथ पत्र

(10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं ....शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि हमारी फर्म/कम्पनी............... .... के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम और प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत कोई मामला दर्ज नहीं है।

फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

उपलब्ध मशीनों एवं उपकरणों का विवरण

क्र.सं	मशीनों का विवरण	मशीनो की संख्या	उपलब्धता– हां / नहीं
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

फोर्टीफाइड आटे में मिलाए जाने वाले आयरन, फोलिक एसिड एव विटामिट
बी–12 की जांच की मशीनों का विवरण

क्र.सं.	मशीनों का विवरण	मशीनो की संख्या	उपलब्धता– हां / नहीं
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

फर्म की प्रतिदिन .... मै. टन आटा उत्पादन की क्षमता है जिसके लिए निविदा के साथ उपलब्ध मशीनों का उक्त विवरण तथा प्रमाण स्वरूप मशीनों के बिलों का विवरण संलग्न कर दिया गया हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

खाद्यान्नों की उचित मूल्य दुकान स्तर तक पहुंचने बाबत् प्राप्ति रसीद

आज दिनांक .... को समय .... मैसर्स .... स्थान .... द्वारा वाहन संख्या .... से गेहूं/चावल/आटा .... क्विण्टल .... बैग्स प्राप्त कर लिया गया है, जिसका अंकन उचित मूल्य दुकान पर संधारित स्टॉक रजिस्टर में कर लिया गया है।

योजना	खाद्यान्न गेहूं/चावल/आटा	चालान नं.	दिनांक	कट्टे	मात्रा

दिनांक

हस्ताक्षर (अ)
सरपंच/उपसरपंच/वार्ड पंच/पटवारी/ग्राम सेवक/स्थानिय दो या तीन व्यक्तियो के

हस्ताक्षर (ब)
वाहन चालक
वाहन संख्या

हस्ताक्षर (स)
उचित मूल्य दुकानदार
स्थान ....
मोबाइल नम्बर ....

परिशिष्ट – 4

आटा उत्पादकों द्वारा गेहूँ के मासिक उठाव तथा आटा आपूर्ति बाबत प्रपत्र

माह .... वर्ष .... जिला ....

क्र. सं.	मिल का नाम (थोक विक्रेता)	आवंटित क्षेत्र शहर/तहसील	गेहूँ का ईकजाई मासिक आवंटन क्षेत्र वाईज	माह में एफसीआई से प्राप्त गेहूँ मात्रा क्षेत्र. वाईज	माह में की गई आटे की आपूर्ति मात्रा क्षेत्र वाईज	अन्तर राशि जमा कराने का विवरण					
						गेहूँ योजना का नाम	मात्रा क्विंटल में	राशि रूपयो में	डी.डी/चैक/ चालान नम्बर	दिनांक	बैंक का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

हस्ताक्षर
जिला प्रबन्धक

प्रपत्र–अ

फोर्टीफाइड आटे के प्रीमिक्स के उपयोग का प्रपत्र – माह 2012

नाम आटा मिल– ....

माह के प्रारम्भ में स्टॉक (किलोग्राम)	प्रीमिक्स क्रय की गई मात्रा (किलोग्राम)	कुल मात्रा (किलोग्राम)	माह में निर्मित फोर्टीफाइड आटा (क्विंटल)	प्रीमिक्स मिश्रण की मात्रा (प्रति क्विंटल)	उपयोग में ली गई प्रीमिक्स की मात्रा (किलोग्राम)	माह के अन्त में स्टॉक (किलोग्राम)
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर मिल धारक

प्रपत्र–ब

क्रय किये गये प्रीमिक्स का विवरण माह.........................2012

क्र. सं.	फर्म का नाम	बिल संख्या दिनांक	क्रय की गई मात्रा	मूल्य प्रति किलोग्राम	बिल की राशि

हस्ताक्षर मिल धारक

प्रपत्र

वार्षिक उत्पादन क्षमता का विवरण

क्र.सं. 1	एक शिफ्ट की उत्पादन क्षमता 2	सभी शिफ्टों की कुल उत्पादन क्षमता 3	अन्य राजकीय/किसी निगम के कार्यादेश 4	शुद्ध उत्पादन क्षमता 5 = (3–4)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.
(A State Government undertaking)
Head Office: 5th floor, Kisan Bhawan,LalKothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone no.: 2744692, 2744649 (General)
Fax No. 0141-2741924, , E-Mail: rsfcsc@gmail.com

क्रमांकः एफ 66(II)/राराखानाआनि./फोर्टिफाइड आटा / 2011/13040 दिनांकः 10/2/2012

निविदा सूचना

निगम द्वारा निर्धारित योग्यताधारी फ्लोर/रोलर फ्लोर मिलधारकों से राज्य के जिला अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, बाडमेर, भीलवाडा, नागौर, चूरू, बूंदी, बारां एवं झालावाड के नगरीय सीमा तथा जिला भरतपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिये गेहूँ को भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से आवंटित मात्रा का उठाव कर निर्धारित मानकों के अनुसार साफ–सफाई कर निविदानुसार निर्धारित पोषक तत्व मिलाकर पिसाई करते हुये तैयार फोर्टिफाइड आटे को 10 व 20 किलोग्राम की प्रिण्टेड पॉली–प्रोपलीन थैली पैकिंग कर उचित मूल्य की दुकानों/उपभोक्ता भण्डारों/चयनित डेयरी बूथों तक पहुँचानें हेतु निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की समस्त सूचनायें एवं निविदा फार्म खाद्य विभाग (www.food.rajasthan.gov.in) या निगम की वेब–साइट से (www.rsfcsc.org) डाउनलोड किये जा सकते हैं अथवा निगम के मुख्यालय से प्राप्त किये जो सकते हैं। निविदा प्रपत्र का शुल्क 1000/– रू. जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा। संबंधित जिले के जिला रसद अधिकारी/जिला प्रबन्धक कार्यालय में निविदा जमा करवाने की अंतिम तिथि 1.03.2012 को सायंकाल 3 बजे तक है। तकनीकी निविदा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 02.03.2012 को दोपहर 12 बजे सम्बन्धित जिले के जिला रसद अधिकारी/जिला प्रबन्धक कार्यालय में खोली जायेगी।

महाप्रबन्धक (प्रशासन)